तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो हु
	कारण दर्शित नही किया है। अतः सरकारी पेरोकार व अप्रार्थी की शहादत का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शहादत अप्रार्थी हेतु दिनांक 26-12-18 को पेश हो। SDO Kolat	
26.12.18	सरकारी पेरोकार उपस्थित वकील अप्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी के वकील शहादत बन्द कर बहस हेतु निवेदन करते है अतः वकील अप्रार्थी के निवेदन पर उभयपक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 4.1.19 को पेश हो। SDO Kolat	
4.1.19	सरकारी पेरोकार उपस्थित वकील अप्रार्थी उपस्थित आदेश पृथक लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मामिक आदेश यह प्रकरण चलने योग्य नही पाया जाने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध इस प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो।	

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट) जिला पाली (राजस्थान)

बईजलास श्री अजय आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 25/2010 (नया सीलिंग कानूने)

सायल :

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रोहट

बनाम

गैरसायल :–

01–मृत केशरसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी पाती, तहसील रोहट, जिला पाली के विधिक वारिसान् –
1/1–जब्बरसिंह पुत्र केशरसिंह
1/2–मोहनसिह पुत्र केशरसिंह
1/3–सुमेरसिंह पुत्र केशरसिंह
1/4–सायरकंवर पुत्री केशरसिंह
1/5–सुगनकंवर पुत्री केशरसिंह
1/6–उगमकंवर बेवा केशरसिंह
जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण पाती, तहसील रोहट, जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति :– सरकारी पेरोकार श्री नायब तहसीलदार रोहट,
श्री दौलत मकवाणा, अधिवक्ता गैरसायल

राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम. 1973 की धारा–15 (1) के अन्तर्गत।

–: आदेश :– दिनांक 04-01-2019

तहसीलदार पाली से प्राप्त विवरण अनुसार गैरसायल के खाते मे सीलिंग सीमा के अधिक भूमि धारण करने के कारण गैरसायल के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण प्रस्तुत किया गया। गैरसायल के विरूद्ध सीलिंग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को धारा 11 का नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से उसके भतीज परबतसिंह ने दिनांक 30–12–1997 को जाहिर किया कि गैरसायल केशरसिंह का देहान्त हो चुका है। जिस पर गैरसायल केशरसिंह के कायम मुकाम की सूची तहसीलदार रोहट से तलब कर अप्रार्थी के कायम मुकामात को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 17–03–1998 को गैरसायल केशरसिंह के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह चारण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण मे दिन क 30–08–1998 को डी.एस. 12 के तहत अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना मे गैरसायलान को डी.एस. 12 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसका गैरसायलान ने जवाब प्रस्तुत किया।

वकील अप्रार्थीगण के निवेदन पर उभयपक्षकारान अप्रार्थीगण के वकील व सरकारी पेरोकार

Scanned by CamScanner